<u>न्यायालय— न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिला</u> भिण्ड मध्यप्रदेश

पीठासीन अधिकारी- केशव सिंह

<u>आपराधिक प्रकरण कमांक 1057/2012</u> <u>संस्थापित दिनांक 31.12.2012</u>

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र— मौ. जिला भिण्ड म०प्र०

<u>..... अभियोजन</u>

बनाम

- कन्हैयालाल पुत्र लल्लूराम माहौर उम्र–22 साल
- 2. लल्लूराम पुत्र नाथूराम माहौर उम्र-40साल
- श्रीमती सावित्री पत्नि लल्लूराम उम्र—35साल समस्त निवासीगण ग्राम गुमान पुरा पुलिस थाना डी0पार जिला दितया म0प्र0
- नाथूरामदि0.9 / 10 / 14मृत
 रामबेटी बाल न्यायालय में पेश

..... अभियुक्तगण

<u>::- निर्णय -::</u>

(आज दिनांक 07/11/14 को घोषित किया)

- 1. आरोपीगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की घारा 498ए के अंतर्गत आरोप है कि आरोपीगण ने ग्राम द्वारिका पुरी मौ में फरियादिया सीमा माहौर का पित एवं उसके पित के नातेदार होते हुये उससे दहेज की मांग की और दहेज न देने पर फरियादिया सीमा को शारीरिक एवं मानसिक रूपसे प्रताडित कर उसके प्रति कूरता का अपराध कारित किया।
- 2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह हैकि प्रकरण में विचारण के दौरान आरोपी नाथूराम की मृत्यु हो गई एवं फरियादिया से आरोपीगण का आपसी राजीनामा हो गया है ।
- 3. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादियाकी शादी हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार 27/6/10 को कन्हैयालाल माहौर के साथ कस्बा मौ में सम्पन्न हुई थी। शादी में फरियादिया के पिता ने सामर्थ अनुसार दान दहेज व सोने, चांदी के जेवरात व नगद राशि दी थी। फरियादिया की शादी के 06 माह बाद जब उसकी

विदा हुई तो ससुराल में पति कन्हैयालाल,सास सावित्री,ससुर लल्लूराम,अजिया ससुर,नाथू और नंद रामबेटी ताने देने लगे कि तेरे बाप ने कुछ नही दियाहैँ दहेज में अपने बाप से मोटरसायकिल व 50 हजार रूपर्ये लेकर आओ तभी तुझे अच्छे रखेगें नंद रामबेटी मोबाईल छुडा लेती थी और पानी में पटक देती थी और मुझे रोटी नहीं देती थी। मकान का ताला लगाकर चली जाती थी। सभी लोग दहेज के लिये मेरी मारपीट करते थे विदा के 15 दिन बाद पति कन्हैयालाल मेरे साथ चारपाई पर सोया था रात के करीब 10 11 बजे पेशाब के रास्ता में हाथ डाल दिया जिससेमेरे पेशाब के रास्ता में खून निकल आया और मै बेहोश हो गई। मेरे चिल्लाने पर कोई नहीं आया जब सुबह गांव वालों को मालूम पडा एवं अमायन के मुन्नालाल को मेरे ससूर लल्लुराम ने बुलाया था। तब मेरे पिता के घर मौ आये और घटना की जानकारी दी। पिन्नी जो चूडी वाले है मेरी ससुराल गुमानपुरा मोटरसायकिल से आये और मुझे मौं लेकर डॉक्टर बी0अर्गल से मेरा गुप्तांगों का इलाज कराया जिसका खर्चा मेरे पिता ने दिया था। फिर मै अपने पिता के साथ मायके आ गई फिर मेरे सस्राल वालों ने पंचायत जोड़ी और कहाकि कभी दहेज नहीं मागेगे फिर मै अपनी ससुराल चली गई तो 03,04 दिन बाद ही सभी लोग दहेज के लिये मारपीट कर प्रताडित करने लगे। फिर वह अपने भाई के साथ अपने पिताके यहां मायके में आ गई। जिसके बाद कई बार पंचायत हुई लेकिन आरोपीगण 50 हजार रूपये और मौटरसायकिल मे दहेज की मांग करते है ।

- 4. उक्त घटना की रिपोर्ट के संबंध में न्यायालय में परिवादपत्र पेश किया गया परिवादी की जांच न्यायालय द्वारा कराई गई जांच के आधार पर थाना मौ द्वारा धारा 498ए,323 का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया विवेचना के दौरान समस्त साक्षियों के कथन लेखबद्ध कर आरोपीगण को गिरफतार कर पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 5. प्रकरण में न्यायालय द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध भा0द0वि0की धारा 498ए के अंतर्गत आरोप विरचित किये जाकर आरोपीगण को सुनाये व समझाये गये तो उन्होंने आरोपित आरोप करने से इंकार किया तथा प्ली दर्ज की गई।
- 6. प्रकरण में फरियादी का आरोपीगण के मध्य आपसी राजीनामा किया जाने के कारण भा0द0वि0की धारा 498ए राजीनामा योग्य न होने से उसमें विचारण यथावत जारी रहा।
- गूकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न यह हैकि:—
 क्या आरोपीगण ने फरियादिया सीमा से दहेज की मांग कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित किया?

सकारण निष्कर्ष

- 8. प्रकरण में अभियोजन की ओरसे अपने पक्ष समर्थन में सीमा आ0सा01,प्रेमाबाई आ0सा02 को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया है।
- 9. सीमा आ०सा०1 के द्वारा प्रकरण में प्रथम सूचना रिर्पोट लेखबद्ध कराई है। इस साक्षी का कहना हैकि उसकी शादी 04 साल पहले जून के माह में हुई थी उसकी शादी में उसके पिता ने अपनी सामर्थ के अनुसार दान दहेज दिया था। इसके बाद वह अपनी ससुराल गुमानपुरा चली गई एक बाद उसके पित के साथ लगभग 03,04 साल पहले झगडा हो गयाथा झगडे में गिर पड़ी थी जिससे उसके गुप्तांगों में चोट आई थी। सावित्री उसकी सास है रामबेटी उसकी ननंद है उसे सभी लोग अच्छे तरह से रखते थे कभी—कमा झगडा हो जाता था गुस्से में आकर अपने पित की रिपोर्ट थाने में कर दी थी। आरोपीगण ने कभी कोई दहेज नहीं मांगा साक्षी ने दहेज मांगे जाने की घटना का समर्थन न किये जाने के कारण साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने इस तथ्य का समर्थननहीं किया हैकि आरोपीगण ने दहेज में 50 हजार रूपये और मोटरसायिकल की मांग की थी साक्षी के कथनो से दहेज मांगे जाने की घटना प्रमाणित नहीं होती है।
- 10. प्रेमाबाई माहौर आ0सा02 यह साक्षी फिरयादी सीमा की मॉ है इसका कहना हैकि उसकी लड़की सीमा की शादी 04 साल पहले कन्हैयालाल के साथ हुई थी। शादी के बाद मेरी लड़की ससुराल में रही ससुराल में मेरे दामाद कन्हैयालाल ने मेरी लड़की मारपीट कर दी थी। फिर हमने दामाद को समझा दिया फिर नाथूराम,लल्लूराम,सावित्रीबाई,रामबेटी को भी बताया था इसके अलावा आरोपिगण मेरी बेटी को ठीक रखते थे। दहेज के लिये इन्होने कभी भी मेरी बेटी को परेशान नहीं किया। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही होषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने इस तथ्य का समर्थन नहीं किया हैकि आरोपीगण ने उसकी लड़की सीमा को दहेज के लिये प्रताडित कर मारपीट की थी। साक्षी के कथनो से घटित अपराध का समर्थन नहीं होता है।
- 11. प्रकरण में फरियादी सीमा व आरोपीगण के मध्य आपसी राजीनामा हो चुका है। जिससे विदित होता हैकि फरियादी व साक्षियों ने आपसी राजीनामा से प्रभावित होकर न्यायालीन अभिलेख पर कथन दिये हैं साक्षियों के कथनो से घटित घटना व प्रथम सूचना रिर्पोट प्रमाणित नहीं होती है।
 - 12. प्रकरण में घटित अपराध इस प्रकार है जो घर की चार

दीवाली के अंदर घटित हुआ है जिसे प्रमाणित करने का भार फरियादिया पर था लेकिन फरियादिया के द्वारा उसके साथ घटित अपराध से इंकार किया है शेष साक्षियों के द्वारा घटना का समर्थन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में फरियादी व साक्षियों के कथनों से अभियोजन घटनाकम प्रमाणित नहीं होता है।

- 13. प्रकरण में आरोपीगण के विरूद्ध आरोपित आरोप भा0द0वि0की धारा 498ए के पूर्णतः अप्रमाणित पाये गये। अतः आरोपीगण को उक्त आरोपित आरोप से दोषमुकत किया जाता है आरोपीगण के जमानत मुचलके भारहीन होने से उन्मोचित किये जाते है।
 - 14. प्रकरण में निराकरण हेतु मुददेमाल नहीं है।
- 15. प्रकरण में अभियोजन की ओर से अपील / याचिका माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष दायर होती है और अपीलीय न्यायालय आरोपी को आहूत करता है तो इस संबंध में आरोपी की ओर से धारा 437ए के प्रावधान के तहत 10 हजार रूपये की सक्षम जमानत व इतनी ही राशि का बंधपत्र लिया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया ।

मेरे निर्देश पर टाईप किया

हस्ता०सही जे०एम०एफ०सी०गोहद जिला भिण्ड हस्ता०सही जे०एम०एफ०सी०गोहद जिला भिण्ड